

सम्पादकीय

जिद छोड़ें किसान नेता

संयुक्त किसान मोर्चा अब चाहे जो भी कहे, इसमें सदैह नहीं कि यह आंदोलन मुख्य रूप से तीनों कृषि बिल पास किए जाने के बाद और उसके विरोध में ही शुरू हुआ था। इन्हें बिना शर्त वापस लेना ही इस आंदोलन की मुख्य मांग थी, जो पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को किए गए तीनों कृषि कानून वापस लेने के एलान के बाद जहां सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। सोमवार को लखनऊ में आयोजित महापंचायत में किसान नेताओं ने साफ कह दिया कि उनका आंदोलन पूर्वघोषित कार्यक्रम के अनुसार चलता रहेगा। वे इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों से जौँड़ रहे हैं। उनकी दलील है कि एक तो यह आंदोलन कृषि कानूनों की वापसी की इकलौती मांग के साथ शुरू नहीं हुआ था, दूसरी बात यह कि कई मसले आंदोलन के दौरान सामने आए।

उदाहरण के लिए आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले और लखीमपुर खीरी कांड के देषियों का सवाल। जहाँ तक आंदोलन के दौरान उत्पन्न मसलों की बात है तो केस दर्ज होने का मुद्दा प्रायः हर आंदोलन से जुड़ जाता है। अत्यधिक गंभीर किस्म के और आपराधिक मामलों को छोड़कर अक्सर ये मामले सरकार वापस भी ले लेती है। लखीमपुर खीरी मामले में भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच शुरू हो चुकी है। फिर भी, इन सवालों पर सरकार से अलग से बातचीत की जा सकती है, उसके सामने अपना आग्रह भी रखा जा सकता है। इसके लिए आंदोलन को पूर्वघोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की जरूरत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा अब चाहे जो भी कहे, इसमें सदैह नहीं कि यह आंदोलन मुख्य रूप से तीनों कृषि बिल पास किए जाने के बाद और उसके विरोध में ही शुरू हुआ था। इन्हें बिना शर्त वापस लेना ही इस आंदोलन की मुख्य मांग थी, जो पूरी हो चुकी है। अब इनमें अन्य मांगों को जोड़ने का सीधा मतलब यही है कि संयुक्त किसान मोर्चा को लग रहा है कि सरकार दबाव में आ गई है, सो उससे जितना हो सके अपनी मांगें मनवा ली जाएं। यह नजरिया उचित नहीं है। इन मांगों के साथ समाज के उन हिस्सों के हित जुड़े हुए हैं, जो अपनी मांगों के साथ सड़क पर नहीं उतरे हैं और यह विश्वास बनाए हुए हैं कि उनके बोटों से निर्वाचित सरकार उनके हितों का भी ख्याल रखेगी। आम जनता का यह विश्वास लोकतंत्र का आधार है। इसे कमज़ोर नहीं होने दिया जा सकता। खासकर, संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की जिस मांग पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, वह न केवल कृषि क्षेत्र में सुधार की राह रोकने वाली है बल्कि पर्यावरण संबंधी खतरों को कम करने के लिए जरूरी बदलाव लाने में भी बाधा बनेगी। सरकार को समय रहते यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि किसी खास मसले पर लचीचापन दिखाने का यह मतलब नहीं है कि वह अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ढढ़ता का परिचय नहीं दे सकती।

चिंताजनक है महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा

यागश कुमार गायल

को रोकने के लिए ह्यांतराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवसल नाया जाता है। इस दिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पैट्रिया मर्सिंडीज मिराबैल, मारिया अर्जेंटीना मिनेर्वा मिराबैल तथा एंटोनिया मारिया टेरेसा मिराबैल द्वारा डोमिनिक शासक रैफेल ट्रिजिले की तानाशाही का कड़ा विरोध किए जाने पर उस क्रूर शासक के आदेश पर 25 नवम्बर 1960 को उन तीनों बहनों की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1981 से उस दिन को महिला अधिकारों के समर्थक और कार्यकर्ता उन्हीं तीनों बहनों की मृत्यु की पुण्यतिथि के रूप में मनाते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को एकमत से हर साल 25 नवम्बर के दिन ही महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया गया। सरकारों, निजी क्षेत्र और प्रबुद्ध समाज से यौन हिंसा और महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने का आग्रह करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुत्तारेस का कहना है कि महिलाओं के प्रति हिंसा विश्व में सबसे भयंकर, निरंतर और व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों में शामिल है, जिसका दंश विश्व में हर तीन में से एक महिला को भोगना पड़ता है।

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ह्यूसंयुक्त राष्ट्र महिलाओं का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महिला के आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में 15-19 वर्ष की वर्ग की करीब डेढ़ करोड़ किशोर लड़कियाँ जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। करीब 35 फीसदी महिलाओं और लड़कियों को अपने जीवनकाल में शारीरिक एवं यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। हिंसा की शिकार 50 फीसदी से अधिक महिलाओं की हत्या उनके परिजनों द्वारा ही की जाती है। वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के शिकार लोगों में 50 फीसदी व्यस्क महिलाएं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन तीन में से एक महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार होती है। भारत के सदर्भी में महिला हिंसा को लेकर आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने कुछ दिनों पहले जो आंकड़े जारी किये हैं—
—
—
—
—
—

लोकतंत्र के

कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद की क्या अहमियत होती है। इस कथन के अनुसार, प्रधानमंत्री देश रूपी जहाज का मस्तूल होता है। पार्न के जहाज में मस्तूल का वही काम होता है, जो कार-बस में स्टीररिंग का। इस कथन के संदर्भ में देखें तो तीन कृषि कानूनों की वापसी के प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत होना चाहिए। लैकिन पिछले साल नवंबर से आंदोलनरत तबके अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार हैं नहीं। बल्कि, उनकी मार्गों की फेरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है।

वैचारिकी वाले वे लोग भी प्रधानमंत्री के इस कदम का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी सोच बदलती नजर आ रही है। बीजेपी विरोधी एक मुखर दल की सरकार के एक मंत्री ने इन पंक्तियों के लेखक से दो दिन पहले एक बातचीत में कहा कि हाप्रधानमंत्री ने अपनी छवि के उल्लंघन जाकर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। देश और लोकतंत्र के हिस्से में इस लकीर का सम्मान किया जाना चाहिए लिंग यह बात और है कि इस सोच को वह अपनी ही पार्टी में जाहिर नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया के दौर में सबके अपने-अपने नैरेटिव हैं और उसी के अनुरूप अपने

लोकतंत्र के लिए कैसा है कृषि कानूनों पर फैसला

उमेश चतवेदी

संशोधन कानून विरोधी आंदोलन और किसान आंदोलन को कुचलने की प्रत्यक्ष प्रशासनिक कोशिश नजर नहीं आई। प्रतिपक्षी दल के एवं नेता ऑफ ड रेकॉर्ड कथन में प्रधानमंत्री की तुलना अशोक से कर लगे हैं। अशोक का राज्याभिषेक इसा पूर्व 270 में हुआ। तब से लेकिन इसा पूर्व 261 तक उसने लगातार मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। तब तक अशोक बड़ा और प्रतापी रहा। लेकिन कलिंग विजय के बाद जब वह धर्म यानी बौद्ध धर्म की ओर झुका, तब उसकी जिंदगी की नयात्रा शुरू हुई। इसके बाद ही वह महान माना गया। तलवार के बजाए करुणा के दम पर शुरू हुई विश्व विजय यात्रा ही अशोक को महाबनाती है। इन संदर्भों के लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भी अशोक की कलिंग विजय से पहले तक की यात्रा जैसी हरही है। नोटबंदी हो या कश्मीर से संबंधित सविधान के अनुच्छेद 37 का खात्मा, राममंदिर का निर्माण हो या फिर तीन तलाक जैसी दारूनी व्यवस्था का समापन- इन तमाम कदमों से प्रधानमंत्री मोदी का कड़वा रुख ही जाहिर होता रहा है। कृषि कानूनों की वापसी कलिंग विजय वें बाद विचलित अशोक की धर्म यात्रा जैसी है। यह मामूली बात नह

राजनीति विज्ञान में किसी पश्चिमी विचारक का प्रधानमंत्री पद के लिए एक कथन खूब पढ़ाया जाता है। इसके जरिए बताने की कोशिश होती है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद की क्या अहमियत होती है। इस कथन के अनुसार, प्रधानमंत्री देश रूपी जहाज का मस्तूल होता है। पानी के जहाज में मस्तूल का वही काम होता है, जो कार-बस में स्टीवरिंग का। इस कथन के संदर्भ में देखें तो तीन कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत होना चाहिए। लेकिन पिछले साल नवंबर से आंदोलनरत तबके अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार ही नहीं। बल्कि, उनकी मांगों की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है।

चूंकि वैचारिकी और राजनीति के लिहाज से मुफीद विचारों का ही समर्थन आज के दौर का चलन है, इस बजह से विरोधी खेमे और वैचारिकी वाले वे लोग भी प्रधानमंत्री के इस कदम का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी सोच बदलती नजर आ रही है। बीजेपी विरोधी एक मुखर दल की सरकार के एक मंत्री ने इन पक्षियों के लेखक से दो दिन पहले एक बातचीत में कहा कि हाव्यप्रधानमंत्री ने अपनी छवि के उलट जाकर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। देश और लोकतंत्र के हित में इस लकीर का सम्मान किया जाना चाहिए। यह बात और है कि इस सोच को वह अपनी ही पार्टी में जाहिर नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया के दौर में सबके अपने-अपने नैरेटिव हैं और उसी के अनुरूप अपने अपने चहेतों और विरोधियों की छवियां हैं। नैरेटिव के हिसाब से सबके अपने दुम्हन हैं और सब उन्हें अपनी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प है कि सारा कुछ देश और लोकतंत्र को बचाने के नाम पर हो रहा है। सच पूछें तो देश और लोकतंत्र की असल चिंता अगर कहीं है, तो वह ह्याँफ द रेकॉर्डल वाले विचारों और ठेठ देसज सोच में ही बची रह गई है। जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया तो देसज सोच और ह्याँफ द रेकॉर्डल वाली वैचारिकी को लगा कि अब प्रधानमंत्री की अपील के मुताबिक किसान अपने धरों और खेतों में लौट जाएंगे। लेकिन जिस तरह का रुख किसान आंदोलन ने दिखाया है, उससे उस आंदोलन का समर्थन कर रहा तबका भी मुतमईन नजर नहीं आ रहा है। उसे भी अब महसूस होने लगा है कि किसानों के नाम पर दरअसल राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि उनके विरोधियों की नजर में निरंकुश और अडियल शासक की रही है।

हालांकि इस सोच को चुनौती नागरिकता संशोधन विरोधी आंदोलन के साथ ही किसान आंदोलन भी देता रहा है। दोनों आंदोलनों को पुलिस या सेना के दम पर दबाने की सरकार ने कभी कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री चाहते तो यह नहीं हो सकता था। राजनीति विज्ञानी मानते ही हैं कि संसदीय लोकतंत्र में बहुमत दल का नेता बहुमत के चलते निरंकुश बन सकता है। लेकिन कम से कम नागरिकता

